सं0सं09 / आ0–1–39 / 2012

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, नालंदा के ज्ञापांक–2882 दिनांक 02.12.2003 द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ0 फैयाज अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिथौरा, नालंदा दिनांक 30.07.1996 से लगातार अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. डॉ0 फैयाज अहमद के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 – 1485 (9) दिनांक 22.12.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप इस आधार पर प्रमाणित पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के क्रम में कभी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्हें डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम् से सूचित किया गया था।

3. डॉ0 फैयाज अहमद से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम् से द्वितीय कारणपृच्छा की गई, किन्तु निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी डॉ0 अहमद का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। तदालोक में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत यह देखते हुए कि डॉ0 फैयाज हमद के विरूद्ध पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम – 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

अतः डॉ0 फैयाज अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिथौरा, नालंदा को पाँच वर्षों से अधिक लगातार अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम – 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा० फैयाज अहमद एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 1312 (9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 09/12/2016

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी नालंदा / क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना / सिविल नालंदा / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डॉ0 फैयाज अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिथौरा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय,बिहार, पटना / सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx